कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

8434
14.08.2026-

02/नि.स्था. प्रो./वि.उ.(02) – 04/2021

रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों के तहत् दिनांक 01.01.2009 अथवा उसके बाद 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के निम्नांकित कर्मी को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 12.08.2026 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका–1 (क) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि के प्रभाव से सम्बन्धित कॉलम में अंकित वेतनमान में प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की तिथि	PB-2+GP-4600–/पुनरीक्षित लेवेल–8 में प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि	PB-2+GP-4800–/पुनरीक्षित लेवेल–9 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि	PB-2+GP-5400–/पुनरीक्षित लेवेल–11 में तृतीय वित्तीय उन्नयन की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री नरेन्द्र कुमार	23/11/1966	27/05/1997	27/05/1997	X	27.05.2017	X	
2	श्री रामधन पासवान (सेवानिवृत)	06/09/1964	24/02/1987	04/06/1997	01.01.2009	04.06.2017	X	
3	श्री मनोज कुमार राम	15/03/1977	30/12/2013	30/12/2013	30.12.2023	X	X	
4	श्री अमरेन्द्र कुमार (सेवानिवृत)	02/01/1964	23/12/1987	23/12/1987	X	X	23.12.2017	
5	श्री सूरज कुमार	08/03/1986	27/12/2013	27/12/2013	27.12.2023	X	X	
6	श्री लक्ष्मण प्रसाद (सेवानिवृत)	09/04/1964	14/11/1995	14/11/1995	X	14.11.2015	X	
7	श्री गौरांग कृष्ण	07/09/1971	02/06/1997	01/08/1998	X	02.06.2017	X	
8	श्री ज्योति कुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत)	15/01/1966	23/11/1989	23/11/1989	X	X	23.11.2019	
9	श्री ललन प्रसाद	04/02/1971	22/11/1995	22/11/1995	X	22.11.2015	X	
10	श्री प्रभात कुमार	24/03/1986	26/12/2013	26/12/2013	01.07.2024	X	X	दंड का प्रभाव समाप्त होने की तिथि दिनांक 01.07.2024 से।
11	श्री राहुल चौधरी	20/02/1988	26/12/2013	26/12/2013	26.12.2023	X	X	
12	श्री विजय रविदास	02/01/1982	27/12/2013	27/12/2013	27.12.2023	X	X	
13	श्री कुमार संजय सहाय (सेवानिवृत)	12/08/1964	04/09/1990	04/09/1990	X	01.04.2013	01.04.2023	दंड के कुप्रभाव के कारण प्रथम वित्तीय उन्नयन दि. 01.04.13 से तथा उक्त तिथि से 10 वर्ष पर दिनांक 01.04.23 से द्वितीय वित्तीय उन्नयन।
14	श्री राजेश कुमार चौधरी	22/04/1986	27/12/2013	27/12/2013	27.12.2023	X	X	
15	श्री बिपिन कुमार सिन्हा	27/09/1976	21/04/2008	27/12/2013	27.12.2023	X	X	
16	श्री पंकज कुमार	25/03/1981	27/12/2013	27/12/2013	27.12.2023	X	X	
17	श्री रंजीत कुमार गोंड	01/03/1986	09/01/2014	09/01/2014	09.01.2024	X	X	
18	श्री सुधीर कुमार वर्मा (सेवानिवृत)	02/03/1962	04/09/1990	04/09/1990	X	X	04.09.2020	
19	श्री प्रमोद कुमार मिश्र (सेवानिवृत)	18/06/1961	19/04/1990	19/04/1990	X	19.04.2010	X	तृतीय एमएसीपी कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं रहने के कारण अनुमान्य नहीं।
20	श्री नरेन्द्र कुमार तिवारी (सेवानिवृत)	08/04/1958	07/01/1988	07/01/1988	X	01.01.2009	X	तृतीय एमएसीपी दंड के प्रभाव के कारण अनुमान्य नहीं।
21	श्री शिवचन्द्र प्रसाद (सेवानिवृत)	25/01/1965	27/03/1990	27/03/1990	X	X	27.03.2020	
22	श्री संजीव कुमार सिंह (सेवानिवृत)	02/05/1966	02/06/1997	29/08/1998	01.01.2009	X	X	सेवा लगातार एवं नियमित नहीं होने के कारण द्वितीय एम.ए. सी.पी. अनुमान्य नहीं।

23	श्री जयनारायण मंडल	02/08/1963	31/05/1990	31/05/1990	X	31.05.2010	01.04.2022	दंड के कुप्रभाव के कारण तृतीय एमएसीपी दिनांक 01.04.2022 से।
24	श्री मनोज कुमार	10/01/1967	02/06/1997	02/06/1997	X	02.06.2017	X	
25	श्री सतीश कुमार शर्मा	27/01/1963	27/03/1990	27/03/1990	X	X	01.07.2021	दंड का प्रभाव समाप्त होने की तिथि दिनांक 01.07.2021 से।

2. वित्त विभाग के पत्र संख्या 3637/वि., दिनांक 10.04.2013 तथा संकल्प संख्या 7448 दिनांक 05.10.2018 के आलोक में लाभान्वित कर्मी मौलिक नियमावली के नियम–22(1)(ए)(1) के प्रावधान के तहत वित्तीय उन्नयन की तिथि को अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को वेतन निर्धारण के संबंध में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प अपने कार्यालय प्रधान को दे सकेंगे। समय सीमा के अन्दर विकल्प आवेदन नहीं देने की स्थिति में वेतन निर्धारण वित्तीय उन्नयन की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अन्तिम होगा।

3. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम–22(1)(ए)(1)/वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 के कंडिका–12/वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3590 दिनांक 24.05.2017 की कंडिका–11 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7448 दिनांक 05.10.2018 के आलोक में किया जायेगा।

4. सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सम्बन्धित सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की सेवा–पुस्त की अपने स्तर से पुनः जाँच करके संतुष्ट हो लेंगे कि इनकी सेवा संपुष्ट है तथा वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति हेतु वांछित अवधि की नियमित सेवा पूर्ण कर लिए हैं। वर्ष 2012 के बाद देय तिथि के मामले में कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा की उत्तीर्णता अथवा सक्षम प्राधिकार के स्तर से उक्त परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्ति के संबंध में भी संतुष्ट हो लिया जायेगा। यदि जाँच के क्रम में कोई त्रुटि/विसंगति प्रकाश में आती है तो संबंधित पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे इसे विभाग की जानकारी में लायें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। ऐसे मामलों में त्रुटि निराकरण के उपरान्त ही वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस संदर्भ में वेतन निर्धारण उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे।

5. उपर्युक्त किसी भी कार्मिक के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मी को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति/वसूली कर ली जाएगी जो सम्बन्धित कर्मी को स्वीकार्य होगा।

6. उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अवधेश 14-8-26

(अवधेश कुमार)

अवर सचिव।

ज्ञापांक 8434 /पटना, दिनांक 14.08.2026.

02/नि.स्था. प्रो./वि.उ.(02) – 04/2021

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (बुनकर सहित)/जिला सहकारिता पदाधिकारी/संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2 नि., 7 नि. (निग.) एवं 01 नि./विशेष कोषांग (सहकारिता प्रसार पदाधिकारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना/सरकार के उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरकार के उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विभागीय आई.टी. मैनेजर को वेवसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

अवधेश 14-8-26

अवर सचिव।